



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 2101/अका./का.प/2022

रायपुर, दिनांक 26/07/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की सड़सठवीं बैठक बुधवार दिनांक 03.08.2022 को मध्याह्न 12.00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
(पृष्ठ क्र 1 से 9 तक)
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
3. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15.07.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
(पृ. क्र. 10 से 14 तक)
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

फार्मसी संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कार्पस फण्ड हेतु विनियम क्रमांक-184 A के संबंध में विचार करना।
(पृ. क्र. 15)
टीप: इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कार्पस फण्ड हेतु विनियम क्रमांक-184 A की छायाप्रति संलग्न है।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. डॉ. भगवंत सिंह, प्राध्यापक, तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 30,16,994.00 (रुपए तीस लाख सोलह हजार नौ सौ चौरानबे मात्र) के संबंध में विचार करना।
टीप: डॉ. भगवंत सिंह, प्राध्यापक, तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का दिनांक 30.06.2022 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप नियमानुसार 2(i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 30,16,994.00 (रुपए तीस लाख सोलह हजार नौ सौ चौरानबे मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
6. वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु नोडल केंद्रों को अग्रिम राशि रुपए 43,04,258 (रुपए तिरालीस लाख चार हजार दो सौ अठावन मात्र) के कार्योंत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।
टीप: वार्षिक परीक्षा-2022, 16 अप्रैल, 2022 से प्रारंभ हुई थी। उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शीघ्र हो इस हेतु केंद्रों का गठन किया गया था। चार महाविद्यालयों एवं एक महाविद्यालय सहित कुल 05 महाविद्यालयों के पारिश्रमिक राशि रुपए 32,04,258+11,00,000=43,04,258 (रुपए तिरालीस लाख चार हजार दो सौ अठावन मात्र) को कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में भुगतान किया गया है। अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योंत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

7. श्री गणेश राम यादव, मल्टीग्राफर, जैविकी अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रूपए 09,58,884.00 (रुपए नौ लाख अठावन हजार आठ सौ चौरासी मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

टीप: श्री गणेश राम यादव, मल्टीग्राफर, जैविकी अध्ययनशाला का दिनांक 30.05.2022 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप नियमानुसार 2(i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रूपए 09,58,884.00 (रुपए नौ लाख अठावन हजार आठ सौ चौरासी मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. सत्र 2021-22 में अंतर-महाविद्यालयीन एवं सेक्टर स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए संबंधित महाविद्यालय के सभी खेलों के सब्सिडी राशि रूपए 5.66 लाख (रुपए पाँच लाख छैसठ हजार मात्र) के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

टीप: सत्र 2021-22 में अंतर महाविद्यालयीन एवं सेक्टर स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए संबंधित महाविद्यालय के सभी खेलों के संलग्न सूची अनुसार दर्शाए गए सब्सिडी राशि रूपए 5.66 लाख (रुपए पाँच लाख छैसठ हजार मात्र) के अनुमोदन एवं संस्तुति के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

9. विश्वविद्यालय की क्रीड़ा समिति में दो नए सदस्यों के मनोनयन के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय की क्रीड़ा समिति के सदस्यों की कार्यवधि 01/07/2022 को समाप्त हो गई है।

परिनियम 2-1(iv) के तहत विश्वविद्यालय की क्रीड़ा समिति में कार्यपरिषद् के द्वारा दो नए सदस्यों का मनोनयन किया जाना है।

क्रीड़ा समिति के सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 01/07/2022 से 01/07/2025 तक आगामी तीन वर्षों के लिए किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव

10. शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर को बायोकेमेस्ट्री विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

टीप : बायोकेमेस्ट्री विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 25.06.2022 के निर्णयानुसार शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर को बायोकेमेस्ट्री विषय में शोध-केंद्र की मान्यता अस्थाई रूप से प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। (बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न) संशोधित विनियम क्रमांक-107 की कंडिका-08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कंप्यूटर सेंटर गोपनीय से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. फॉयरवाल डिवाइस क्रय किए जाने हेतु अनुमानित लागत राशि रूपए 40.00 लाख (रुपए चालीस लाख मात्र) के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

टीप: फॉयरवाल उपकरण विश्वविद्यालय कैंपस एरिया नेटवर्क हेतु अत्यंत उपयोगी है, जो कि पब्लिक इंटरनेट से इनकमिंग डाटा को फिल्टर कर निजी नेटवर्क में अनधिकृत डाटा पैकेज के प्रवेश को रोकता है, इसके जरिए अनधिकृत वेबसाइट के उपयोग को रोका जा सकता है, इससे वायरस, हैकिंग, डाटा चोरी, आदि रोका जा सकता है। अनुमानित लागत रूपए 40.00 लाख स्वीकृति/अनुमोदन हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव

12. फार्मसी संस्थान मॉड्यूलर लैब निर्माण देयक ₹ 28,35,654=70 (रुपए अट्ठाइस लाख पैंतीस हजार छः सौ चौवन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : फार्मसी संस्थान में मॉड्यूलर लैब निर्माण हेतु निविदा क्र. 72/विकास/निसू/2022 रायपुर, दिनांक 03.02.2022 समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले फर्म Hitendra Enterprises, C/36, Sect.-1, Shankar Nagar, Raipur (C.G.) को फार्मसी संस्थान में मॉड्यूलर लैब निर्माण हेतु पत्र क्र. 145/विकास/2022 रायपुर, दिनांक 15.03.2022 के द्वारा आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म द्वारा कार्य समाप्ति पश्चात् देयक क्र. 14 दिनांक 06.06.2022 के द्वारा ₹ 28,35,654=70 (रुपए अट्ठाइस लाख पैंतीस हजार छः सौ चौवन मात्र) का भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

कार्यपरिषद् से अनुमोदन की प्रत्याशा में कुल देयक में से 75 प्रतिशत राशि ₹ 21,26,741=00 (रुपए इक्कीस लाख छब्बीस हजार सात सौ इकचालीस मात्र) का भुगतान किया जा चुका है एवं शेष 25 प्रतिशत राशि ₹ 7,08,914=00 (रुपए सात लाख आठ हजार नौ सौ चौदह मात्र) भुगतान किया जाना है।

अतः कुल राशि ₹ 28,35,654=70 (रुपए अट्ठाइस लाख पैंतीस हजार छः सौ चौवन मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

13. डिग्री मुद्रण के लिए ₹ 13,71,160=00 (रुपए तेरह लाख इकहत्तर हजार एक सौ साठ मात्र) के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के उपाधि विभाग के आवश्यकतानुसार डिग्री मुद्रण हेतु अनुबंधित फर्म ऑफसेट प्रिंटिंग हाऊस, चाणक्यपुरी कॉलोनी, सतना (म.प्र.) को कार्यादेश क्र. 288/विकास/2022 रायपुर, दिनांक 04/07/2022 के द्वारा आदेशित किया गया है। डिग्री मुद्रण हेतु प्रति नग ₹ 70.00 (रुपए सत्तर मात्र) की दर से कुल 16,600 नग डिग्री मुद्रण करने पर ₹ 13,71,160.00 (तेरह लाख इकहत्तर हजार एक सौ साठ मात्र) जी.एस.टी. सहित व्यय होगा।

अतः डिग्री मुद्रण होकर विश्वविद्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित फर्म को भुगतान करने के लिए ₹ 13,71,160.00 (तेरह लाख इकहत्तर हजार एक सौ साठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

14. 41 महाविद्यालयों की सेमेस्टर परीक्षा 2022-23 हेतु प्रदत्त अग्रिम राशि ₹ 6,97,000=00 (रुपए छः लाख सतानबे हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

टीप : 41 महाविद्यालयों को सेमेस्टर परीक्षा 2022-23 हेतु प्रदत्त अग्रिम ₹ 6,97,000=00 (रुपए छः लाख सतानबे हजार मात्र) का किए गए भुगतान का माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव

15. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में संविलयित कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान का एरियर्स प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी उनके नाम के सम्मुख दर्शित तिथि से हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में संविलयित हो गए हैं। इस विश्वविद्यालय में 01.01.2016 से कार्यरत तिथि (संविलियन के पूर्व) तक के पुनरीक्षित वेतनमान (सातवाँ वेतनमान का) के एरियर्स राशि का भुगतान इन्हें निम्नानुसार किया जाना है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम	दुर्ग वि.वि. में संविलियन तिथि	भुगतान योग्य एरियर्स राशि
01.	श्री रामप्रसाद देवांगन	14.07.2016	36900=00
02.	श्री अशोक कुमार खातखेड़े	20.01.2017	91881=00
03.	श्री योगेश कुमार सोनटेके	25.10.2016	45225=00
04.	डॉ. भावना पर्वत	20.01.2017	62669=00
05.	श्रीमती सविता पुसरिया	14.07.2016	20805=00
06.	श्रीमती रजनी मझावी	14.07.2016	20805=00
07.	श्रीमती मंजूषा तिरपुड़े	20.01.2017	39931=00
08.	श्री देवदास	20.01.2017	39931=00
09.	श्रीमती सपना सिन्हा	21.02.2017	30345=00
10.	श्री संजय कुमार खंडागड़े	11.07.2016	21420=00
11.	श्री रामकुमार	14.07.2016	15525=00
12.	श्रीमती नीलम श्रीवास्तव	14.07.2016	15525=00
13.	श्री कमलेश ठाकुर	14.07.2016	15525=00
14.	श्री अर्जुन लाल निराला	14.07.2016	12795=00
15.	श्री दीनदयाल पीस्टा	13.07.2016	12795=00
16.	श्री युगल किशोर	13.07.2016	12795=00
17.	श्री मनबोध तिकी	13.07.2016	12795=00
18.	श्रीमती लता बंजारे	14.07.2016	12795=00
		कुल रुपए	520462=00

उपरोक्त कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा से अंतिम रूप से पारित किया जा चुका है, जिसकी सत्यापित प्रति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

अतः वित्त विभाग से गणना उपरांत उपरोक्तानुसार कुल ₹ 5,20,462=00 (रुपए पाँच लाख बीस हजार चार सौ बैसठ मात्र) एरियर्स राशि का भुगतान किए जाने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव

16. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

(पृ. क्र. 16 से 21 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।

17. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.08.2021 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने खाली स्थान में अलंकृत उद्यान विकसित करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि ₹ 12,48,795/- (रुपए बारह लाख अड़तालीस हजार सात सौ पंचानबे) की 50% राशि ₹ 6,24,397/- (रुपए छः लाख चौबीस हजार तीन सौ संत्यानबे मात्र) का भुगतान सहायक संचालक, उद्यान प्रमुख, उद्यान रायपुर को किया गया, शेष अलंकृत उद्यान रोपन कार्य हेतु प्राक्कलन राशि की शेष 50% राशि ₹ 6,24,398/- (रुपए छः लाख चौबीस हजार तीन सौ अंत्यानबे मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
- टीप:** विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने खाली स्थान में अलंकृत उद्यान विकसित करने हेतु छत्तीसगढ़ के उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि ₹ 12,48,795/- (रुपए बारह लाख अड़तालीस हजार सात सौ पंचानबे) का अनुमोदन कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.08.2021 में किया गया। स्वीकृति अनुसार प्राक्कलन राशि की 50% राशि ₹ 6,24,397/- (रुपए छः लाख चौबीस हजार तीन सौ संत्यानबे मात्र) का भुगतान सहायक संचालक, उद्यान प्रमुख उद्यान रायपुर के पक्ष में किया जा चुका है। प्रदाय की गई राशि से भूमि सुधार क्यारी निर्माण कार्य कराया गया है। शेष अलंकृत उद्यान रोपन कार्य हेतु प्राक्कलन राशि की शेष राशि ₹ 6,24,398/- (रुपए छः लाख चौबीस हजार तीन सौ अंत्यानबे मात्र) भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
18. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.06.2022 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय परिसर की खराब सड़कों के सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि ₹ 50.00 लाख की 50% राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) का भुगतान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-03 रायपुर को किया गया है तथा प्राक्कलन राशि की शेष 50% राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) का भुगतान चेक क्र. 4099609 दिनांक 11.07.2022 के द्वारा किया गया है, की सूचना ग्रहण करना।
- टीप :** कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.06.2022 के निर्णय पूरक विषय सूची क्रमांक 05 में कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक- 03, रायपुर के प्राक्कलन राशि ₹ 50 लाख में से शेष 50% राशि ₹ 25 लाख भुगतान की स्वीकृति प्रदान किया गया था, चेक क्रमांक-409609 दिनांक 11.07.2022 द्वारा राशि ₹ 25 लाख भुगतान की सूचना माननीय कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।
19. विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग हाल के नवीनीकरण फर्नीचर लेआउट कार्य हेतु वास्तुविद फर्म भारती एंड एसोसियट्स रायपुर द्वारा तैयार किए गए ड्राइंग डिजाईन एवं प्राक्कलन राशि ₹ 27,38,015/- (रुपए सत्ताईस लाख अड़तीस हजार पन्द्रह मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत Engineering Unit बजट मद M&R to Building में प्रावधानित राशि ₹ 100 लाख अंतर्गत प्रदान करने हेतु भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 27,38,015/- (रुपए सत्ताईस लाख अड़तीस हजार पन्द्रह मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।
- टीप :** विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग हाल के नवीनीकरण फर्नीचर लेआउट कार्य हेतु वास्तुविद फर्म भारती एंड एसोसियट्स रायपुर द्वारा तैयार किए गए ड्राइंग डिजाईन एवं प्राक्कलन राशि ₹ 27,38,015/- (रुपए सत्ताईस लाख अड़तीस हजार पन्द्रह मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत Engineering Unit बजट मद M&R to Building में प्रावधानित राशि ₹ 100 लाख अंतर्गत प्रदान की गई, तथा कार्य विभाग लेखा नियमों के तहत फार्म-बी से आइटम रेट निविदा आमंत्रण कर कार्य कराए जाने की अनुशंसा भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 में की गई है। राशि ₹ 27,38,015/- (रुपए सत्ताईस लाख अड़तीस हजार पन्द्रह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एवं इसी प्रकार वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

20. विश्वविद्यालय परिसर में बाऊंड्रीवाल पोताई कराने के संबंध में स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद स.क्र. 22 में प्रावधानित Building Painting Distemper में राशि ₹ 200 लाख अंतर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासनिक (कार्योत्तर) एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : यांत्रिकी शाखा द्वारा छ0ग0 लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रभावशील एस.ओ.आर. के आधार पर प्रस्तुत प्राक्कलन राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद स. क्र. 22 में प्रावधानित Building Painting Distemper में राशि ₹ 200 लाख अंतर्गत प्रसारित निविदा सूचना क्रमांक 830 / यांत्रिकी / दिनांक 06.07.2022 की अनुशंसा भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 में की गई है। राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासनिक (कार्योत्तर) एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

21. विश्वविद्यालय परिसर के विभाग भवनों में पाँच वाहन शेड निर्माण कार्य के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद 5(b) मोटर गैरेज हेतु प्रावधानित राशि ₹ 50 लाख अन्तर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 43,53,915/- (रुपए तिरालीस लाख तिरपन हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) की प्रशासनिक (कार्योत्तर) एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के विभाग भवनों में पाँच वाहन शेड निर्माण हेतु वि0वि0 की यांत्रिकी शाखा द्वारा प्रस्तुत छ0ग0 लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रभावशील एस.ओ. आर. के आधार पर प्रस्तुत प्राक्कलन राशि ₹ 43,53,915/- (रुपए तिरालीस लाख तिरपन हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद 5(b) मोटर गैरेज हेतु प्रावधानित राशि ₹ 50 लाख अन्तर्गत प्रदान की गई। नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर कार्य कराने की अनुशंसा भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 में की गई है। राशि ₹ 43,53,915/- (रुपए तिरालीस लाख तिरपन हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) की प्रशासनिक (कार्योत्तर) एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

22. विश्वविद्यालय के कुलपति निवास के पीछे वाहन शेड निर्माण के संबंध में प्राप्त निविदा राशि अधिक होने (above 12.95% as per SOR) के कारण भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार निविदा को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने पर विचार करना।

(कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2021 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त)

टीप : विश्वविद्यालय के कुलपति निवास के पीछे वाहन शेड निर्माण हेतु आमंत्रित निविदाओं में से न्यूनतम निविदा छ0ग0 लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रभावशील एस.ओ.आर. के आधार पर 12.95% Above वाली फर्म M/S The Weather man Raipur से कार्य कराने की अनुशंसा C.P.C. (केन्द्रीय क्रय समिति) द्वारा की गई है। विचारोपरांत सर्वसम्मति से प्राप्त निविदा दर अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होने के कारण इसे निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 में की गई है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

23. विश्वविद्यालय के बी.एड. भवन पहुँच मार्ग निर्माण के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट में **Engineering Unit** बजट मद स.क्र.(10) **Campus Buitification** हेतु प्रावधानित राशि ₹ 30 लाख अंतर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 9,92,437/—(रुपए नौ लाख बानबे हजार चार सौ सैंतीस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।
टीप : विश्वविद्यालय के बी.एड. भवन हेतु पहुँच मार्ग इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला एवं विज्ञान भवन के बीच खाली स्थान से बनाया जाना प्रस्तावित है। यांत्रिकी शाखा द्वारा सीमेन्ट कांक्रीट रोड निर्माण हेतु छ0ग0 लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रभावशील एस.ओ.आर. के आधार पर प्रस्तुत प्राक्कलन राशि ₹ 9,92,437/—(रुपए नौ लाख बानबे हजार चार सौ सैंतीस मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट **Engineering Unit** बजट मद स.क्र.(10) **Campus Buitification** हेतु प्रावधानित राशि रु0 30 लाख अंतर्गत प्रदान की गई, नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर कार्य कराने की अनुशंसा भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 में की गई है। राशि ₹ 9,92,437/—(रुपए नौ लाख बानबे हजार चार सौ सैंतीस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
24. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शोड निर्माण के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट **Engineering Unit** बजट मद 5(b) मोटर गैरेज हेतु प्रावधानित राशि ₹ 50 लाख अंतर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 9,78,374/— (रुपए नौ लाख अठत्तर हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।
(कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त)
टीप : विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शोड निर्माण हेतु स्वीकृति अनुसार छ0ग0 लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01जनवरी 2015 से प्रचलित एस.ओ.आर. के आधार पर प्राक्कलन राशि ₹ 12,54,274/—(रुपए बारह लाख चौवन हजार,दो सौ चौहत्तर मात्र) के आधार पर निविदा आमंत्रित की गई, आमंत्रित निविदाओं में से न्यूनतम निविदा दर छ0ग0 लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रभावशील एस.ओ.आर. से 22% Below वाली फर्म M/S P.I.C. Construction Raipur से कार्य कराने की अनुशंसा C.P.C. (केन्द्रीय क्रय समिति) द्वारा की गई है। न्यूनतम निविदा दर पर कार्य कराने राशि ₹ 9,78,374/— (रुपए नौ लाख अठत्तर हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट **Engineering Unit** बजट मद 5(b) मोटर गैरेज हेतु प्रावधानित राशि ₹ 50 लाख अंतर्गत स्वीकृति प्रदान कर कार्य अनुबंध कर कार्य आदेश दिए जाने की अनुशंसा भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 में की गई है। राशि ₹ 9,78,374/— (रुपए नौ लाख अठत्तर हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
25. विश्वविद्यालय में मूर्ति चौक के पास गार्डन की ओर हाई मास्ट पोल एवं उसमें **L.E.D. Flood Light** लगाने के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट **Engineering Unit** बजट मद 5(a) **Construction work, Electrification** में प्रावधानित राशि ₹ 40 लाख प्रावधान अंतर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 10,83,128/— (रुपए दस लाख तिरासी हजार एक सौ अट्ठाईस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।
(कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त)
टीप : विश्वविद्यालय परिसर के मूर्ति चौक के पास गार्डन की ओर हाई मास्ट पोल एवं उसमें **L.E.D. Flood Light** लगाने स्वीकृति अनुसार छ0ग0 लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2020 से प्रचलित विद्युतीय एस.ओ.आर. पर प्राक्कलन राशि ₹ 10,56,711/—(दस लाख छप्पन हजार सात सौ ग्यारह) निविदाएं आमंत्रित की गयी न्यूनतम निविदा दर छ0ग0 लोक निर्माण विभाग

के वर्ष 2020 से प्रभावशील विद्युतीय एस.ओ.आर. के आधार पर प्रस्तुत से 2.5% above वाली फर्म M/S D.M.Jha Raipur से कार्य कराने की अनुशंसा केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई है। न्यूनतम निविदा दर पर कार्य कराने राशि ₹ 10,83,128/- (रुपए दस लाख तिरासी हजार एक सौ अट्ठाईस मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद 5(a) Construction work, Electrification में प्रावधानित राशि ₹ 40 लाख प्रावधान अंतर्गत प्रदान की गई। कार्य अनुबंध कर कार्य आदेश दिए जाने की अनुशंसा भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 में की गई है। राशि ₹ 10,83,128/- (रुपए दस लाख तिरासी हजार एक सौ अट्ठाईस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

26. विश्वविद्यालय के भवनों की आंतरिक पोताई कराने के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद स.क्र. 22 में (Building Painting, Distempering) प्रावधानित राशि ₹ 200 लाख अन्तर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : यांत्रिकी शाखा द्वारा प्रस्तुत छ0ग0 लोक निर्माण विभाग से दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रचलित एस.ओ.आर. के आधार पर प्राक्कलन राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद स.क्र. 22 में प्रावधानित Building Painting, Distempering में राशि ₹ 200 लाख अन्तर्गत प्रदान की गई। कार्य कराने निविदा क्र. 830/दिनांक 06.07.2022 आमंत्रित किए जाने की अनुशंसा भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 में की गई है। राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

27. छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अधोसंरचना मद में प्रावधानित अनुदान राशि ₹ 100 लाख में से गणित अध्ययनशाला भवन निर्माण प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 99,45,000/- (रुपए निन्यानबे लाख पैंतालीस हजार मात्र) विमुक्त करने छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किए जाने पर विचार करना।

टीप : वास्तुविद श्रीवास्तव बागरेचा एंड एसोसिएट से गणित अध्ययनशाला के भवन निर्माण हेतु प्राप्त प्लान तथा स्टेज प्रथम प्राक्कलन राशि ₹ 99,45,000/- (रुपए निन्यानबे लाख पैंतालीस हजार मात्र) के तकनीकी प्रस्ताव को छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अधोसंरचना मद में प्रावधानित अनुदान राशि विमुक्त करने पत्र प्रेषित किए जाने की अनुशंसा भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 में की गई है। प्रस्ताव माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

28. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार
26/7/22
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 2102/अका./का.प/2022

रायपुर, दिनांक 26/07/2022

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।


f08 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1703 /अका./का.प./2022

रायपुर, दिनांक 04/06/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की छैसठवीं बैठक शुक्रवार दिनांक 03.06.2022 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति –अध्यक्ष

1. डॉ. सी.डी. अगाशे	– सदस्य	8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	– सदस्य
2. डॉ. एस.के. प्रसाद	– सदस्य	9. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	– सदस्य
3. डॉ. सौम्या नैय्यर	– सदस्य	10. डॉ. एम.एल. नायक	– सदस्य
4. डॉ. मधुलिका अग्रवाल	– सदस्य	11. श्री सोनाऊ राम नेताम	– सदस्य
5. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	– सदस्य	12. श्री सत्यनारायण शर्मा	– सदस्य
6. डॉ. के.एन. शर्मा	– सदस्य	13. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव	– सदस्य
7. डॉ. ममता शर्मा	– सदस्य		

डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 एवं 01.04.2022 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 एवं 01.04.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षण शुल्क के भुगतान की राशि रूपए 22,93,992.00 (रूपए बाइस लाख तिरानबे हजार नौ सौ बयानबे मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय :स्वीकृति प्रदान की गई।

4. राज्य शासन के आदेश क्रमांक 265/एफ2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 2-5-20022 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.05.2022 से सातवां वेतनमान में 17 प्रतिशत से बढ़ा कर कर 22 प्रतिशत किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :राज्य शासन के आदेश क्रमांक 265/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 2-5-20022 के परिपालन में विश्वविद्यालय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ते के दर दिनांक 01.05.2022 से 17 प्रतिशत से बढ़ा कर कर 22 प्रतिशत किए जाने का अनुमोदन किया गया।

5. डॉ. (श्रीमती) अनुसुइया बघेल, प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 30,43,905.00 (रुपए तीस लाख तिरालीस हजार नौ सौ पाँच मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।
6. डॉ. (श्रीमती) अनुसुइया बघेल, प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त के उपरांत अवकाश नगदीकरण राशि रुपए 19,82,448.00 (रुपए उन्नीस लाख बयासी हजार चार सौ अड़तालीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।
7. श्री बी.एस. राजपूत, कक्ष अधिकारी सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 19,67,081.00 (रुपए उन्नीस लाख सड़सठ हजार इक्यासी मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।
8. सत्र 2021-22 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन के संबंध में विचार करना।
निर्णय: सत्र 2021-22 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के लिए निम्नलिखित तीन संकायाध्यक्ष को चयन समिति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया—
(1) संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय
(2) संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय
(3) संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय
9. वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु नोडल केंद्रों को अग्रिम प्रदान करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु नोडल केंद्रों को अग्रिम प्रदान करने हेतु पारिश्रमिक राशि रुपए 2,13,65,590.00 (रुपए दो करोड़ तेरह लाख पैसठ हजार पाँच सौ नब्बे मात्र) की 80 प्रतिशत राशि रुपए 1,70,92,472.00 (रुपए एक करोड़ सत्तर लाख बयानबे हजार चार सौ बहत्तर मात्र) स्वीकृति प्रदान की गई।
10. डॉ. हेमंत शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 5,40,378.00 (रुपए पाँच लाख चालीस हजार तीन सौ अटहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।
11. श्री भगवान सिंह राजपूत कक्ष अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 5,40,033.00 (रुपए पाँच लाख चालीस हजार तैंतीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग का वित्त निर्देश 07/2022, पत्र क्रमांक 202/एफ 2016-04-03289/वित्त नियम/चार दिनांक 08.04.2022 को अंगीकृत किए जाने हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ पस्तुत।

निर्णय: वर्तमान वित्त निर्देश राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए है। अतः निगम/मंडल/आयोग/ विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में मार्गदर्शन/स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया जाए।

ग्रंथालय से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. विदेशी ई-शोध पत्रिकाओं का क्रय बजट वर्ष 2022-23 से करने पर विचार करना।

निर्णय :विदेशी ई-शोध पत्रिकाओं का क्रय बजट वर्ष 2022-23 में क्रय प्रक्रिया पूर्ण करने का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 02.06.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव हेतु सहायक संचालक, उद्यान प्रमुख, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 35,59,548/- (रुपये पैतीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ अड़तालीस) के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राक्कलन राशि की 50% राशि रु. 17,79,774/- (सत्रह लाख उन्यासी हजार सात सौ चौहत्तर मात्र) का किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव हेतु सहायक संचालक, उद्यान प्रमुख, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 35,59,548/- (रुपये पैतीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ अड़तालीस) के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राक्कलन राशि की 50% राशि रु. 17,79,774/- (सत्रह लाख उन्यासी हजार सात सौ चौहत्तर मात्र) का किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के मद से निर्मित 3 उद्यानों (मुख्य प्रवेश द्वार के दाईं ओर निर्मित उद्यान, प्रशासनिक भवन एवं कला भवन के मध्य का निर्मित उद्यान तथा भू-विज्ञान अध्ययनशाला में निर्मित उद्यान) का वार्षिक रख-रखाव छत्तीसगढ़ शासन के उद्यानिकी विभाग से नियमानुसार कराने हेतु स्वीकृति दी गई।

3. विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में रूसा योजना के तहत रेनोवेशन कार्य के अतिरिक्त कार्य आडियो-विडियो एवं स्टेज लाइटिंग हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 71,98,412/- (रुपए इकहत्तर लाख अठ्यानबे हजार चार सौ बारह मात्र) में से राशि रु. 29,32,412/- (रुपए उनतिस लाख बत्तीस हजार चार सौ बारह मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. विश्वविद्यालय में लोक निर्माण विभाग से डिपोजिट वर्क के अंतर्गत कराए जाने वाले निर्माण कार्यो हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन राशि का 100% भुगतान पश्चात् निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप क्रमांक 3468/तक./11-1/22-23 दिनांक 25.05.2022 के परिपालन में प्राक्कलन राशि का 100% भुगतान करने पर ही निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करने के पत्र को अंगीकृत किया गया।

5. विश्वविद्यालय परिसर की खराब सड़कों के सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि की 50% राशि रु. 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) का भुगतान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-03 रायपुर को किया गया है तथा प्राक्कलन राशि की शेष राशि रु. 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) के भुगतान किए जाने की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

6. विश्वविद्यालय परिसर में एकीकृत परीक्षा भवन निर्माण हेतु आर्किटेक्ट फर्म Bharti Associates Raipur द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन राशि रु. 2.84 करोड़ (रुपए दो करोड़ चौरासी लाख मात्र) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विद्युत/यांत्रिकी संभाग क्र. 3, रायपुर, छत्तीसगढ़ को भुगतान किए जाने के संबंध में कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप क्रमांक 3468/तक./11-1/22-23 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार 100% राशि के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

7. विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित गर्ल्स हॉस्टल एवं गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु अनुबंधित वास्तुविद फर्म श्रीवास्तवा बागरेचा एंड एसोसिएट्स, रायपुर द्वारा प्रस्तुत देयकों की कुल राशि रुपए 5,39,303/- (रुपए पाँच लाख उनचालिस हजार तीन सौ तीन मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

8. विश्वविद्यालय में गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु अनुबंधित आर्किटेक्ट फर्म श्रीवास्तवा बागरेचा एंड एसोसिएट्स, रायपुर के द्वारा तैयार किया गया ड्राइंग डिजाइन के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन राशि रु. 3,74,11,000.00 (रुपए तीन करोड़ चौहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) डिपोजिट वर्क के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-3, रायपुर को भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. स्वर्ण पदक (Gold Medal) के लिए निर्धारित राशि रुपए 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) से बढ़ाकर रुपए 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) किए जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 6 की कंडिका 32 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं को दानदाताओं द्वारा प्रदत्त स्वर्ण-पदक (Gold Medal) के लिए निर्धारित राशि रुपए 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) को बढ़ाकर रुपए 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पूर्व कार्य सत्र 2021-22 का देयक राशि रुपए 2,63,07,439.00 (रुपए दो करोड़ तिरसठ लाख सात हजार चार सौ उनचालिस मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।
निर्णय: राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, कांके रोड, रांची द्वारा वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा कार्य सत्र 2021-22 के परीक्षा पूर्व कार्य करने के पश्चात् देयक राशि रुपए 2,63,07,439.00 (रुपए दो करोड़ तिरसठ लाख सात हजार चार सौ उनचालिस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) का विनियम 108 में शामिल करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर द्वारा अधिसूचना क्रं. एफ 20-70/2004/11/(6) नवा रायपुर, दिनांक 09/मई/2022 के द्वारा छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) को विश्वविद्यालय विनियम 108 में शामिल किए जाने का अनुमोदन किया गया।
12. कंप्यूटर विज्ञान अ.शा. के लिए 20 नग कम्प्यूटर क्रय हेतु रु. 13=00 लाख (रुपए तेरह लाख मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।
13. विश्वविद्यालय के पं. रविशंकर शुक्ल प्रेक्षागृह के लिए ऑडिटोरियम चेयर क्रय हेतु रु. 73,94,030=00 की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।
14. विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए 40 स्मार्ट बोर्ड CSIDC के द्वारा दर निर्धारण करने के पश्चात् ई-मानक पोर्टल के माध्यम से क्रय करने हेतु रु. 1,00,30,000=00 (रुपए एक करोड़ तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

15. कैंपस एरिया नेटवर्क, वेबसर्वर एवं एंटीवायरस सर्वर के वार्षिक रख-रखाव हेतु फर्म Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) को विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के अनुशंसा एवं सक्षम स्वीकृति पश्चात दिनांक 13/03/2022 से 12/03/2023 तक 01 वर्ष के लिए अनुबंध किया गया है को वार्षिक रख-रखाव में रु. 10,62,000=00 (रुपए दस लाख बैसठ हजार मात्र) के व्यय के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

16. विश्वविद्यालय के Pre & Post Examination works के लिए स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: National Consumer Co-operative Federation of India Ltd. (NCCF), Adarsh Nagar, Kanke Road, Rachi द्वारा पूर्व में जारी किए गए निविदा एवं अनुबंध की शर्तों के आधार पर आगामी अकादमिक सत्र 2022-23 के लिए कार्य कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. संचालनालय, राज्य संपरीक्षा, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र पृष्ठांकन क्र. सी.एस.ए/प्रति/1026 दिनांक 30.05.2022 के परिपालन में राजकीय विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2016 से प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

18. विश्वविद्यालय चिकित्सा अधिकारी की अधिवार्षिकी आयु 62 से 65 वर्ष किए जाने के संबंध में वित्त निर्देश 50/2013 अंगीकृत किए जाने पर विचार करना।

निर्णय: राज्य शासन के वित्त निर्देश 50/2013 को अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन विशेष परिस्थिति के रूप में किया गया जो राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के अध्वधीन होगा।

19. श्री सुरेश यादव, फोटोग्राफर (संविदा) को विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारी (पेंशन माइनस वेतन आधार पर) एक वर्ष हेतु पुनः नियुक्त किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन प्रदान किया गया।

मानव संसाधन विकास केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

20. श्री परदेशी राम भोई को सातवें वेतनमान में देय वेतनवृद्धि के फलस्वरूप देय एरियर्स राशि की भुगतान करने के स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय: श्री परदेशी राम भोई को सातवें वेतनमान में देय वेतनवृद्धि के फलस्वरूप देय एरियर्स राशि का भुगतान के संबंध में निर्णय लिया गया है कि -

1. छ.ग. शासन वित्त विभाग के पत्र क्र. 224/एफ 2016-04-03303/वित्त/ नियम/चार दिनांक 19 मई 2017 एवं पत्र क्र. 226/एफ 2016-04-03303/ वित्त/नियम/चार दिनांक 19 मई 2017 छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के प्रावधानानुसार, उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारण अनुमोदन के अध्वधीन,

विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय वर्ग कर्मचारी श्री परदेशी राम भोई को दिनांक 01.07.2021 से पुनरीक्षित वेतनमान में निम्नानुसार वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृति -

क्र.	कर्मचारी का नाम	वेतन मैट्रिक में विनिर्दिष्ट लेवल	पुनरीक्षित वेतनमान में पूर्व वर्ष में प्राप्त वेतन	आगामी वेतनवृद्धि तिथि	देय वेतन
पदनाम - निम्न वर्ग लिपिक- वेतनमान 5200-20200+4300					
01	श्री परदेशी राम भोई	08	60400 /-	01.07.2021	62200 /-

- श्री परदेशी राम भोई को दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक का कुल एरियर्स की राशि आयकर कटौती एवं भविष्य निधि कटौती के साथ कुल रु. 6,18,668.00 (रुपए छः लाख अठारह हजार छः सौ अड़सठ मात्र) का भुगतान किया जाए।
- श्री परदेशी राम भोई को दिनांक 01.04.2017 से 31.07.2018 तक के एरियर्स राशि रु. 2,17,381.00 (रुपए दो लाख सत्रह हजार तीन सौ इक्यासी मात्र) का भुगतान राज्य शासन के आदेश पश्चात् किए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान की गई।

मानव संसाधन विकास केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

- मानव संसाधन विकास केंद्र (HRDC) का Academic Advisory Committee की बैठक दिनांक 18.05.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

अतिथि गृह एवं शिक्षक आवास से प्राप्त प्रस्ताव :-

- अतिथि गृह (Guest House) तथा शिक्षक आवास (Teachers Hostel) के कक्षाओं के वर्तमान दर में वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अतिथि गृह (Guest House) तथा शिक्षक आवास (Teachers Hostel) के कक्षाओं के वर्तमान दर में निम्नानुसार वृद्धि करने का अनुमोदन किया गया।

क्र.		वर्तमान दर (प्रति कक्ष/प्रतिदिन)	प्रस्तावित दर (प्रति कक्ष/प्रतिदिन)
1.	परीक्षा, शोध एवं विश्वविद्यालय कार्य हेतु आमंत्रित अतिथियों हेतु	रु. 200.00	रु. 400.00
2.	अन्य विभागों एवं निजी अतिथियों हेतु	रु. 300.00	रु. 700.00
3.	शिक्षक आवास हेतु (Teachers Hostel)	रु. 200.00	रु. 300.00
4.	अतिथि गृह डारमेट्री	रु. 100.00 प्रति व्यक्ति/प्रति दिन	रु. 100.00 प्रति व्यक्ति/ प्रति दिन- यथावत्

- गेस्ट हाऊस की इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000.00 (रुपए दस हजार मात्र) से बढ़ाकर रु. 20,000.00 (रुपए बीस हजार मात्र) किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

संपदा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

- अर्जित भू-अधिग्रहण में अतिरिक्त मुआवजा राशि भुगतान के संबंध में अद्यतन की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना पर विचार करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

25. इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए क्रय किए गए उपकरण पर व्यय राशि रु. 14,48,304.00 (रुपए चौदह लाख अड़तालिस हजार तीन सौ चार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

- श्री बी.पी. भंवर, सहायक यंत्री को यांत्रिकी विभाग का प्रभार देने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: दिनांक 12.09.2011 में कार्यपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अंतर्गत श्री बी.पी. भंवर के बहाली शर्तों को शिथिल करते हुए, उन्हें उनके मूल पद एवं विभाग पर कर्तव्यस्थ करने तथा तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर प्राप्त विधिक अभिमत के अनुसार लंबित न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 551/2010 के अध्यक्षीन, प्रभारी विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर पदस्थ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में स्टेज पर एल.ई.डी. वॉल स्क्रीन क्रय किए जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में स्टेज पर एल.ई.डी. वॉल स्क्रीन (एवं उसके लिए आवश्यक उपकरण सहित) क्रय किए जाने हेतु अनुमानित राशि रु. 1,50,00,000/- (रुपए एक करोड़ पचास लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।
- इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कार्पस फण्ड पर विचार करना।
निर्णय: इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कार्पस फण्ड बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-33/2020/38-1, दिनांक 28.03.2022 के परिपालन में शिक्षा सत्र 2021-22 के सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2022 की परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-33/2020/38-1, दिनांक 28.03.2022 के परिपालन में शिक्षा सत्र 2021-22 के सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2022 की परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति के लिए विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की अनुशंसा पर विनियम क्रमांक-182 E का अनुमोदन किया गया।
- सत्र 2023-24 से इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी) को पायलट बेसिस पर कोर्स प्रारंभ करने हेतु विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा किए जा रहे आवेदन के संबंध में सूचनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 1704 / अका. / का.प / 2022

रायपुर, दिनांक 04/06/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04/6/22

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

10

क्रमांक : 2057/अका./वि.प.स्थायी समिति/2022

रायपुर, दिनांक 15.07.2022

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 15.07.2022 को अपराह्न 01:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति - अध्यक्ष	
1. डॉ. शैल शर्मा	- सदस्य
2. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	- सदस्य
3. डॉ. व्यास दुबे	- सदस्य
4. डॉ. एस.के. प्रसाद	- सदस्य
5. डॉ. सी.डी. अगाशे	- सदस्य
6. डॉ. मधुलिका अग्रवाल	- सदस्य
7. डॉ. सौम्या नैय्यर	- सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) अभया आर. जोगलेकर	- सदस्य
9. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	- सदस्य
10. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	- सदस्य
11. डॉ. संजय कुमार	- सदस्य

डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल, कुलसचिव - सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

कार्यवृत्त :-

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 02.06.2022 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : संपुष्टि प्रदान की गई।
- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 02.06.2022 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में निर्णय निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(i)	शासकीय सुखराम नागे महावि. नगरी, जिला-धमतरी	M.Sc.-III & IV Sem.- Botany	20	2021-22
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(ii)	दिशा कॉलेज, रामनगर, कोटा मार्ग, रायपुर	M.Sc.- I & II Sem. Maths (New Course) B.B.A. Seat extension	30 सीट वृद्धि-40, पूर्व सीट संख्या-120 (कुल-160)	2022-23
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
(iii)	कला महाविद्यालय, जी-जामगांव, जिला-धमतरी	B.Sc.-I - Bio (Botany, Zoology, Chemistry)	60	2022-23
		B.Sc.-I - Maths (Maths, Physics, Chemistry)	60	
		B.C.A.-I- Compulsory Subject	60	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iv	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा. कचना रोड, रायपुर	B.A.-II year (FC, Sociology, Political Sc., Hindi Litt., Economics, English Litt.	50	2022-23
		B.P.E. -III year	40	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
v	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, सेजबहार, रायपुर	B.Sc. Maths -	30	2022-23
		B.Com. - Seat Increase	20	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
vi	स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन नरदहा, जिला-रायपुर	B.A.-III - (F.C., Sociology, Economics, History, Political Sc., Maths, Hindi	60	2022-23
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। इंडोमेंट फंड के संबंध में महाविद्यालय को पत्र प्रेषित किया जाए।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
vii	शास. मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार	M.Sc.-I & II Sem. (Food & Nutrition)	25	2022-23
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम के नाम संशोधन (Food & Nutrition से Food Science & Nutrition) हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए, संशोधन पत्र प्राप्त किए जाने के पश्चात् संबद्धता प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई।				

04. शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगाँव, जिला-रायपुर के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार करना।

निर्णय :शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगाँव, जिला-रायपुर को कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 2095/348/आउशि/सम./2021 दिनांक 12.10.2021 के परिपालन में महाविद्यालय का नाम निम्नानुसार संशोधन किए जाने की अनुशंसा की जाती है:-

पूर्व संचालित नाम	परिवर्तित नाम
शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगाँव, जिला-रायपुर	शहीद नंद कुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगाँव, जिला-रायपुर

05. कला महाविद्यालय, जी-जामगाँव, जिला-धमतरी के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: कला महाविद्यालय, जी-जामगाँव, जिला-धमतरी को छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-100/2022/38-2 दिनांक 13.06.2022 के परिपालन में महाविद्यालय का नाम निम्नानुसार संशोधन किए जाने की अनुशंसा की जाती है:-

पूर्व संचालित नाम	परिवर्तित नाम
कला महाविद्यालय, जी-जामगाँव, जिला-धमतरी (छ.ग.)	दारु कल्याण सिंह सोनवानी महाविद्यालय, जी-जामगाँव, जिला-धमतरी (छ.ग.)

06. संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद, जिला-धमतरी में बी.पी.एड. में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: एन.सी.टी.ई. के Revised Order F.No. WRC/APW05782/724017/2015/142464 date 31-05-2015 के अनुसार B.P.Ed. में 50 सीट में अतिरिक्त 50 सीट वृद्धि के संबंध में निरीक्षण समिति गठित कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की गई।

07. निम्नलिखित संकायांतर्गत अध्ययन मण्डल की बैठकों के कार्यवृत्त की अनुशंसा करना -

(1) कला संकाय -

अध्ययन मण्डल

बैठक की तिथि

1	अंग्रेजी	-	13.04.2022
2	हिन्दी	-	08.04.2022
3	भाषाविज्ञान	-	08.04.2022
4	दर्शनशास्त्र	-	12.04.2022
5	ग्रंथालय	-	12.04.2022

(2) सामाजिक विज्ञान संकाय -

1	इतिहास	-	06.07.2022
2	प्रा.भा. इतिहास	-	11.04.2022
3	अर्थशास्त्र	-	15.06.2022
4	समाजशास्त्र	-	11.04.2022
5	मनोविज्ञान	-	12.04.2022

(3) विज्ञान संकाय

1	भौतिकी	-	27.04.2022
2	रसायन	-	12.05.2022
3	इलेक्ट्रॉनिक्स	-	20.04.2022
4	गणित	-	21.04.2022
5	भू-विज्ञान	-	21.04.2022
6	सांख्यिकी	-	21.04.2022
7	भूगोल	-	22.04.2022

(4) जीव विज्ञान संकाय

1	वनस्पति	-	06.07.2022
2	प्राणीविज्ञान	-	08.07.2022
3	बायोसाइंस	-	07.07.2022
4	मानवविज्ञान	-	05.07.2022

(5) विधि संकाय

1	विधि	-	05.07.2022
---	------	---	------------

(6) प्रबंध संकाय

1	प्रबंधन	-	18.04.2022
---	---------	---	------------

(7)	इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी संकाय		
1	संगणक विज्ञान (कंप्यूटर साइंस) —		18.04.2022
(8)	शिक्षा संकाय		
1	शिक्षा —		16.06.2022
(9)	शारीरिक शिक्षा संकाय		
1	शारीरिक शिक्षा —		04.07.2022
(10)	गृह-विज्ञान संकाय		
1	गृह-विज्ञान —		24.06.2022
(11)	वाणिज्य संकाय		
1	वाणिज्य —		12.07.2022

निर्णय :अध्ययन मण्डल की बैठकों के कार्यवृत्त की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में निर्णय निम्नानुसार है -


क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(i)	शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर	B.Com. -II Computer Application (Under Self Finance)	50	2022-23
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				


02. निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश सत्र 2022-23 के लिए प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	स्व. रामप्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय, खरोरा जिला- रायपुर
2	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महा. धरसीवां रायपुर (सत्र 2021-22)
3	स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना, जिला-महासमुंद (सत्र 2021-22)
4	शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
5	महर्षि वेद ब्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भखारा जिला-धमतरी
6	शासकीय नवीन महाविद्यालय, वटगन जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा
7	शासकीय कला/वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर
8	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगांव जिला- रायपुर
9	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुढ़ियारी जिला- रायपुर
10	राजीव गांधी शास. महाविद्यालय, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार
अशासकीय महाविद्यालय	
1	प्रगति महाविद्यालय, सेंट्रल एवेन्यु चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)
2	सेंट्रल कालेज आफ एजुकेशन, प्लाट नं.-1131/3, रिंग रोड नं.-3, ग्राम-तुलसी, रायपुर
3	आदर्श कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंज मंडी, रायपुर (छ.ग.)
4	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम-बेलभाठा, व्हाया-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
5	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड, आमापारा, रायपुर (छ.ग.)
6	विकास शिक्षा महाविद्यालय, सी-191, देवपुरी, फुंडहर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
7	ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाठा, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)
8	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, 94, सुंदर नगर, रायपुर (छ.ग.)
9	दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
10	सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
11	श्री बिरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, प्लाट नं.-724/1, स्ट्रीट नं.-1, ग्राम+पोस्ट-जामगाँव, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

12	जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, सिहावा रोड, धमतरी (छ.ग.)
13	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
14	प्रतिभा कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम-बालसी, सराईपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
15	ओम श्री साई नाथ विद्यालय परसतराई (धरसीवां), जिला-रायपुर (छ.ग.)
16	स्पेक्ट्रम कालेज ऑफ एजुकेशन, खसरा नं.-1234, ग्राम+पोस्ट-नरदहा, तह.-आरंग, रायपुर (छ.ग.)
17	श्याम बालाजी महाविद्यालय, महासमुंद
18	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर (छ.ग.)
19	कोपल वाणी श्रवण बाधित महाविद्यालय, पं. सुंदर लाल शर्मा स्कूल परिसर, सुंदर नगर, रायपुर
20	श्रीमती प्रमिला गोकुल दास डागा कन्या महाविद्यालय, कचहरी चौक, रायपुर
21	विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस (कॉलेज डिवीजन) रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
22	महर्षि दयानंद संस्कृत महाविद्यालय, कोसरंगी जिला- महासमुंद (सत्र 2021-22 एवं 2022-23)
23	काम्पटेक महाविद्यालय, सोरिद नगर, धमतरी (छ.ग.) (सत्र 2021-22)
24	आदर्श महाविद्यालय, दतरंगा, रायपुर
25	महंत लक्ष्मी नाराण दास महा. रायपुर (छ.ग.)
26	गुरुकुल इंस्टीट्यूट देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
27	स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी ग्राम- मुडपार, पो.- खरोरा, तह.- तिल्दा, जिला- रायपुर
28	महात्मा गाँधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)
29	संचुरी सिमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा), जिला-रायपुर (छ.ग.)
30	अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.)
31	कला महाविद्यालय जी - जामगांव, जिला-धमतरी
32	विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
33	सी.आई.टी. बी.एड. कालेज, खसरा नं.-160, स्ट्रीट-एन.एच.-43, ग्राम-भेलवाडीह, पोस्ट-उपरवारा, जिला-रायपुर
34	आर.के.एस. महाविद्यालय, तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 2058/अका./वि.प.स्थायी समिति/2022
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 15.07.2022

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

विनियम क्रमांक 184 A

कायिक निधि (कॉरपस फंड)

(विश्वविद्यालय विनियम क्रमांक 184 के अधीन निर्मित)

1. नाम : यह विनियम 'फार्मैसी संस्थान कायिक निधि' के नाम से जाना जाएगा।
2. क्षेत्र : इस विनियम का प्रभाव क्षेत्र विश्वविद्यालय अध्ययनशाला (University Teaching Department) क्षेत्र होगा।
3. मद : इस निधि का एक बैंक खाता होगा, जिसका नाम जिसे 'फार्मैसी संस्थान कायिक निधि खाता' होगा।
4. उद्देश्य : (1) इस निधि का उपयोग विभाग में समसामयिक शोध सुविधाओं तथा अन्य शोध प्रोत्साहन के लिए किया जाएगा।
(2) इस निधि से प्राप्त ब्याज की राशि के अधिकतम 50 प्रतिशत राशि का उपयोग प्रतिवर्ष संस्थान की उन्नति के लिए कुलपति के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा।
5. निधि : इस मद में निम्नलिखित रीतियों से राशि की व्यवस्था की जाएगी –
 1. दान से।
 2. जमा पर ब्याज की 50 प्रतिशत राशि से।
 3. कंसलटेंसी शुल्क/प्रशिक्षण शुल्क से।
 4. अन्य उपायों से, जैसे विभागीय कायिक निधि समिति निर्धारित करे।
6. निधि का परिचालन :
 1. निधि के बैंक खाते का परिचालन संस्थान के निदेशक एवं कुलसचिव के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
 2. इस निधि के उपयोग के लिए संस्थान में नियुक्त समिति यथा—
 - अ— संस्थान के निदेशक
 - ब— संस्थान के सभी प्रोफेसर
 - स— वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के द्वारा अनुशंसा से किया जाएगा, जिस पर अंतिम निर्णय कुलपति द्वारा लिया जाएगा।
7. संशोधन एवं निरसन : इस नियम के परिवर्धन, संशोधन एवं निरसन का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा।



(16)

यांत्रिकी विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक 881 / यांत्रिकी / 2022

रायपुर, दिनांक 22 / 07 / 2022

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भवन निर्माण समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 21/07/2022 को मध्याह्न 12.00 बजे प्रशासनिक भवन, कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1. | प्रो. केशरी लाल वर्मा | - कुलपति | - अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल | - कुलसचिव | - सचिव |
| 3. | श्री डी.के.चंदेल | - कार्यपालन अभियंता PWD | - सदस्य |
| 4. | डॉ. निनाद बोधनकर | - प्रोफेसर(भूगर्भशास्त्र) | - विशेष आमंत्रित |
| 5. | श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर | - वित्त नियंत्रक | - सदस्य |
| 6. | डॉ.शैलेन्द्र सराफ | - सदस्य कार्यपरिषद | - विशेष आमंत्रित |
| 7. | डॉ. अशोक प्रधान | - प्रोफेसर(मानवशास्त्र) | - विशेष आमंत्रित |
| 8. | श्री मनोज वर्मा | - अधीक्षण अभियंता(CGPDCL) | - विशेष आमंत्रित |
| 9. | श्री एस.के.शर्मा | - कार्यपालन अभियंता(CGPDCL) | - विशेष आमंत्रित |
| 10. | श्री बी.पी.भंवर | - विश्वविद्यालय यंत्री | - सदस्य |
| 11. | श्री जयप्रकाश चौरसिया | - उपअभियंता PWD | - विशेष आमंत्रित |

बैठक की कार्यवृत्त निम्नानुसार है :-

विषय क्र0 1- मंगलवार दिनांक 01/02/2022 को आयोजित भवन निर्माण समिति की बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि करना।

निर्णय :- संपुष्टि प्रदान की गई।


विषय क्र0 2- स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई द्वारा पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की प्रस्तुत मास्टर प्लान के संबंध में चर्चा करना।

निर्णय :- मास्टर प्लान की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया, वर्षा जल के संग्रहण हेतु कार्य-योजना के संबंध में डॉ0 निनाद बोधनकर, अध्यक्ष भूगर्भशास्त्र एवं जल प्रबंधन अध्ययनशाला द्वारा समिति के समक्ष मास्टर प्लान में प्रस्तुतीकरण किया गया। आगामी बैठक में विस्तृत कार्य योजना तैयार करके प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विषय क्र0 3- वि0वि0 के प्रशासनिक भवन के परीक्षा विभाग के फर्नीशिंग कार्य हेतु प्लान/प्राक्कलन के संबंध में विचार करना।

निर्णय :- विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग हाल के नवीनीकरण फर्नीचर लेआउट कार्य हेतु वास्तुविद फर्म भारती एण्ड एसोसियट्स रायपुर द्वारा तैयार किये गये ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन राशि रु0 27,38,015/- (रुपये सत्ताईस लाख अड़तीस हजार पन्द्रह मात्र) की तकनीकी स्वीकृति

(1)


22/07/2022

विश्वविद्यालय के स्वीकृत Engineering Unit बजट मद M&R to Building में प्रावधानित राशि रु0 100 लाख अंतर्गत प्रदान की गई, तथा कार्य विभाग लेखा नियमों के तहत फार्म-बी से आइटम रेट निविदा आमंत्रण कर कार्य कराये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र0 4- वि0वि0 के LT इलेक्ट्रीक लाइन के अंडर ग्राऊंड करने प्रस्ताव पर चर्चा करना।

निर्णय :- विश्वविद्यालय परिसर में एल.टी. लाईन को अंडर ग्राऊंड करने हेतु छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी से परिसर के भवनों के लिए एल.टी. लाईन को अंडर ग्राऊंड करने सर्वे अनुसार कुल राशि रु0 8,71,99,216/- (रुपये आठ करोड़ इकहत्तर लाख निन्यानबे हजार दो सौ सोलह मात्र) के प्राक्कलन का अवलोकन कर, तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया। एच.टी. लाइन के लिए राशि रु0 2,00,000,00/- (रु0 दो करोड़ मात्र) अतिरिक्त व्यय संभावित का प्राक्कलन छ0ग0 राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बताया गया। जिसे प्रबंध संचालक, स्मार्ट सिटी रायपुर को प्रेषित किए जाने हेतु अनुशंसा की गई।

विषय क्र0 5- वि0वि0 परिसर में HT इलेक्ट्रीक लाइन एवं सौर ऊर्जा प्लांट के संबंध में प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय :- विश्वविद्यालय परिसर में विद्युत उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा प्लांट लगाने हेतु क्रेडा के अधीक्षण अभियंता एवं C.S.P.D.C.L. के अधिकारियों से हुई चर्चा अनुसार सौर ऊर्जा प्लांट लगाने प्रस्ताव तैयार करने दिनांक 15.07.2022 को विश्वविद्यालय परिसर की संयुक्त सर्वेक्षण किये जाने उपरांत कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :-

विषय क्र0 6- विश्वविद्यालय परिसर में बाऊंड्रीवाल पोताई कराने के संबंध में।

निर्णय :- यांत्रिकी शाखा द्वारा छ0ग0 लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01जनवरी 2015 से प्रभावशील एस.ओ.आर. के आधार पर प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु0 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद स.क्र.22 में प्रावधानित Building Painting Distemper में राशि रु0 200 लाख अंतर्गत प्रसारित निविदा सूचना क्रमांक 830/यांत्रिकी/दिनांक 06.07.2022 का अनुमोदन किया गया।

(2) 

विषय क्र0 7— विश्वविद्यालय परिसर के विभाग भवनों में पाँच वाहन शेड निर्माण कार्य के संबंध में।

निर्णय :- विश्वविद्यालय के विभाग भवनों में पाँच वाहन शेड निर्माण हेतु वि0वि0 की यांत्रिकी शाखा द्वारा प्रस्तुत छ0ग0 लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01जनवरी 2015 से प्रभावशील एस.ओ.आर. के आधार पर प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु0 43,53,915/— (रुपये तिरालीस लाख तिरपन हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद 5(b) मोटर गैरेज हेतु प्रावधानित राशि रु0 50 लाख अन्तर्गत प्रदान की गई। नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर कार्य कराने की अनुशंसा की गई।


विषय क्र0 8— विश्वविद्यालय के बी.एड. भवन के पहुँच मार्ग निर्माण के संबंध में।

निर्णय :- विश्वविद्यालय के बी.एड. भवन हेतु पहुँच मार्ग इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला एवं विज्ञान भवन के बीच खाली स्थान से बनाया जाना प्रस्तावित है। यांत्रिकी शाखा द्वारा सीमेन्ट कांक्रीट रोड निर्माण हेतु छ0ग0 लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01जनवरी 2015 से प्रभावशील एस.ओ.आर. के आधार पर प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु0 9,92,437/— (रुपये नौ लाख बानबे हजार चार सौ सैतीस मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद स.क्र.(10) Campus Buitification हेतु प्रावधानित राशि रु0 30 लाख अंतर्गत प्रदान की गई, नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर कार्य कराने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र0 9— वि0वि0 के कुलपति निवास के पीछे वाहन शेड निर्माण के संबंध में।

निर्णय :- विश्वविद्यालय के कुलपति निवास के पीछे वाहन शेड निर्माण हेतु आमंत्रित निविदाओं में से न्यूनतम निविदा छ0ग0 लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01जनवरी 2015 से प्रभावशील एस.ओ.आर. के आधार पर 12.95% Above वाली फर्म M/S The Weather man Raipur से कार्य कराने की अनुशंसा C.P.C. (केन्द्रीय क्रय समिति) द्वारा की गई है। विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने निर्णय किया गया।

(3)

 22/7/2022

विषय क्र० 10— वि०वि० के प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शोड निर्माण के संबंध में।

निर्णय :- विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शोड निर्माण हेतु स्वीकृति अनुसार छ०ग० लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01जनवरी 2015 से प्रचलित एस.ओ.आर. के आधार पर प्राक्कलन राशि रु० 12,54,274/- (रुपये बारह लाख चौवन हजार, दो सौ चौहत्तर मात्र) के आधार पर निविदा आमंत्रित की गई, आमंत्रित निविदाओं में से न्यूनतम निविदा दर छ०ग० लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01जनवरी 2015 से प्रभावशील एस.ओ.आर. से 22% Below वाली फर्म M/S P.I.C. Construction Raipur से कार्य कराने की अनुशंसा C.P.C. (केन्द्रीय क्रय समिति) द्वारा की गई है। न्यूनतम निविदा दर पर कार्य कराने राशि रु० 9,78,374/- (रुपये नौ लाख अठत्तर हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद 5(b) मोटर गैरेज हेतु प्रावधानित राशि रु० 50 लाख अंतर्गत स्वीकृति प्रदान कर कार्य अनुबंध कर कार्य आदेश दिये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र० 11— वि०वि० में मूर्ति चौक के पास गार्डन की ओर हाई मास्ट पोल एवं उसमें L.E.D. Flood Light लगाने के संबंध में।

निर्णय :- विश्वविद्यालय परिसर के मूर्ति चौक के पास गार्डन की ओर हाई मास्ट पोल एवं उसमें L.E.D. Flood Light लगाने स्वीकृति अनुसार छ०ग० लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2020 से प्रचलित विद्युतीय एस.ओ.आर. पर प्राक्कलन राशि रु० 10,56,711/- (दस लाख छप्पन हजार सात सौ ग्यारह) निविदाएं आमंत्रित की गयी न्यूनतम निविदा दर छ०ग० लोक निर्माण विभाग के वर्ष 2020 से प्रभावशील विद्युतीय एस.ओ.आर. के आधार पर प्रस्तुत से 2.5% above वाली फर्म M/S D.M.Jha Raipur से कार्य कराने की अनुशंसा केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई है। न्यूनतम निविदा दर पर कार्य कराने राशि रु० 10,83,128/- (रुपये दस लाख तिरासी हजार एक सौ अट्ठाईस मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद 5(a) Construction work, Electrification में प्रावधानित राशि रु० 40 लाख

(4)

प्रावधान अंतर्गत प्रदान की गई। कार्य अनुबंध कर कार्य आदेश दिये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र0 12— विश्वविद्यालय के भवनों की आंतरिक पोताई कराने के संबंध में।

निर्णय :- यांत्रिकी शाखा द्वारा प्रस्तुत छ0ग0 लोक निर्माण विभाग से दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रचलित एस.ओ.आर. के आधार पर प्राक्कलन राशि रु0 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद स.क्र.22 में प्रावधानित Building Painting, Distempering में राशि रु0 200 लाख अन्तर्गत प्रदान की गई। कार्य कराने निविदा क्र0 830/दिनांक 06.07.2022 आमंत्रित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र0 13 – खेलो इंडिया राष्ट्रीय योजना के तहत स्पोर्ट्स अधोसंरचना विकास के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के संबंध में।

निर्णय :- विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स अधोसंरचना विकास हेतु भारत सरकार की "खेलो इंडिया योजना के तहत विशेषज्ञ आर्किटेक्ट फर्म Collage Design Mumbai द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव को पुनः भारत सरकार के Ministry of Yaouth Affairs & Sports को प्रेषित किये जाने हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्र 14— गणित अध्ययनशाला के भवन निर्माण प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय :- वास्तुविद श्रीवास्तव बागरेचा एण्ड एसोसिएट से गणित अध्ययनशाला के भवन निर्माण हेतु प्राप्त प्लान तथा स्टेज प्रथम प्राक्कलन राशि रु0 99,45,000/—(रुपये निन्यानबे लाख पैंतालीस हजार मात्र) के तकनीकी प्रस्ताव को छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग को प्रावधानित अनुदान राशि विमुक्त करने पत्र प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

(प्रो. केशरी लाल वर्मा)
कुलपति


(डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल)
कुलसचिव

(21)

पृ. क्रमांक 882 / यांत्रिकी / 2022
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 22 / 07 / 2022

1. माननीय कुलपति जी के सचिव, पं.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ ।
2. कुलसचिव महोदय के निज सहायक, पं.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ ।
3. वित्त नियंत्रक पं.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ ।
4. सम्मानीय सदस्यों को सूचनार्थ ।


विश्वविद्यालय यंत्री



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की सड़सठवीं बैठक बुधवार दिनांक 03.08.2022 को मध्याह्न 12.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 03.08.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृ. क्र. 01 से 06 तक)

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

उपाधि विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. डॉ. अनिल कुमार वर्मा को दीक्षांत समारोह के पूर्व साक्षात्कार में उपाधि प्रस्तुत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपाधि प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु उनके आवेदन के संबंध में विचार करना।

टीप : पी-एच.डी. शोधार्थी डॉ. अनिल कुमार वर्मा, से प्राप्त आवेदन दिनांक 14.07.2022 के अनुसार उन्हें साक्षात्कार में प्रस्तुत करने पी-एच.डी. की मूल उपाधि की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. की उपाधियाँ Addition Statute No. 1 के अनुसार दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाता है।

डॉ. अनिल कुमार वर्मा की उपाधि प्रमाण-पत्र छात्रहित को ध्यान में रखते हुए जारी किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

3. वर्ष 2021-22 की मुख्य परीक्षा (अप्रैल-मई 2022) गोपनीय मुद्रण हेतु कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2022 में अनुबंधित फर्म के द्वारा प्रस्तुत देयक रु. 9,04,482.00 (रुपए नौ लाख चार हजार चार सौ बयासी मात्र) की भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : वर्ष 2021-22 की मुख्य परीक्षा (अप्रैल-मई 2022) गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अधिकृत फर्म, को कार्यपरिषद् की बासठवीं बैठक दिनांक 11.01.2022 (विषय सूची क्रमांक 08) में अनुमोदन के फलस्वरूप अनुबंधित किया गया। संबंधित फर्म द्वारा समस्त कार्य सफलतापूर्वक एवं संतोषजनक संपादन किया गया।

अनुबंधित फर्म द्वारा कार्य संपादन उपरांत राशि रु. 9,04,482.00 (रुपए नौ लाख चार हजार चार सौ बयासी मात्र) का देयक प्रस्तुत किया गया, जिसे विश्वविद्यालय गोपनीय विभाग द्वारा सत्यापित किया गया है।

संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक रु. 9,04,482.00 (रुपए नौ लाख चार हजार चार सौ बयासी मात्र) की भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कंप्यूटर सेंटर गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. विश्वविद्यालय हेतु नया सर्वर, यू.पी.एस. एवं रैक क्रय हेतु रु. 20,42,283=00 (रुपए बीस लाख बयालीस हजार दो सौ तिरासी मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के सर्वर रूम स्थित IBM Blade Server जिसमें विश्वविद्यालय के वेबसाइट को होस्ट किया जाता है, सन् 2012 में स्थापित किया गया था। उक्त सर्वर पुराना हो गया है एवं पुरानी टेक्नालॉजी का है। सर्वर में लगातार तकनीकी खराबियाँ आती रहती है। अतः तकनीकी समिति की अनुशंसा अनुसार विश्वविद्यालय के लिए नया सर्वर, यू.पी.एस. एवं रैक क्रय किया जाना अतिआवश्यक है।

उक्त सर्वर क्रय करने पर अनुमानित व्यय रु. 20,42,283=00 (रुपए बीस लाख बयालीस हजार दो सौ तिरासी मात्र) होने की संभावना है। अतः भंडार क्रय नियम अनुसार उक्त सामग्री क्रय करने के लिए रु. 20,42,283=00 (रुपए बीस लाख बयालीस हजार दो सौ तिरासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. श्री हीराराम वर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग की सी.पी.एफ. राशि रूपए 13,02,461.00 (रूपए तेरह लाख दो हजार चार सौ इकसठ मात्र) के अंतिम भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : श्री हीराराम वर्मा, वरिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग दिनांक 30.07.2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 2394/सा.प्रशा./2022 दिनांक 17.12.2022 के द्वारा इनके विरुद्ध विश्वविद्यालय का कुछ भी लेना शेष नहीं है। इनके सी.पी.एफ. खाता क्रमांक 10049602245/33810221470 में राशि निम्नानुसार जमा है -

(1) अंशदान में जमा राशि रूपए	13,02,461.00 (जमा राशि पर प्रचलित ब्याज सहित)
(2) भुगतान योग्य कुल राशि रूपए	13,02,461.00

.....
(रूपए तेरह लाख दो हजार चार सौ इकसठ मात्र)

श्री हीराराम वर्मा, वरिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सी.पी.एफ. खाता क्रं. 33810221470 में जमा राशि रूपए 13,02,461.00 (रूपए तेरह लाख दो हजार चार सौ इकसठ मात्र) उनके व्यक्तिगत बचत खाता क्रमांक 10049596308/10049603204 में जमा करने हेतु सी.पी.एफ. राशि का अंतिम भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

6. छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, के वित्त निर्देश 09/2022 पत्र क्रं. 265/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/05/2022 के अनुसार विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त (90 प्रतिशत पेंशन प्राप्त) कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 174 प्रतिशत किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : छत्तीसगढ़ शासन के उपरोक्त पत्र के परिपालन में छठवें वेतनमान में महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि किया गया है। दिनांक 01.05.2022 से छठवें वेतनमान में 164 प्रतिशत की दर से दिए जा रहे महंगाई भत्ते की दर को बढ़ा कर 174 प्रतिशत कर दिया है। उक्त वित्त निर्देश को अंगीकृत किए जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. डॉ. राजेंद्र प्रसाद दास, प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर वर्तमान में सम-कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110068 की Pro-Vice Chancellor के पद पर पुनः नियुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 09.08.2022 से 03 वर्ष या Pro-Vice Chancellor (सम-कुलपति) पद का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो के लिए पुनः धारणाधिकार में वृद्धि के संबंध में आवेदन पर विचार करना।

टीप : डॉ. राजेंद्र प्रसाद दास, सम-कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110068 से प्राप्त पत्र क्रमांक IG/PVC/E-1/22/56 दिनांक 20.07.2022 के आवेदन में दिनांक 08.08.2022 को सम कुलपति के पद कार्यकाल पूर्ण होने पर पुनः 03 वर्ष के लिए कार्यवृद्धि किए जाने का उल्लेख कर दिनांक 09.08.2022 से 03 वर्ष या सम-कुलपति पद का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए पुनः धारणाधिकार में वृद्धि किए जाने का उल्लेख किया गया है।

कुलसचिव, (प्रशासन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No. AD/2/NA/4185/19/5203 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा डॉ. राजेंद्र प्रसाद दास को 03 वर्ष की अवधि या सम-कुलपति के पद के कार्यकाल की समाप्ति तक या 65 वर्ष की आयु

(सेवानिवृत्ति) होने तक, जो भी पहले हो के लिए सम-कुलपति पद पर पुनः नियुक्त किया गया है।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3323/स्था./प्रशा./2019 दिनांक 18.11.2019 के द्वारा डॉ. आर.पी. दास, प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में Pro-Vice Chancellor (सम-कुलपति) के पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 09.08.2019 से कार्यमुक्त करते हुए दिनांक 09.08.2019 से 08.08.2022 तक 03 वर्ष का धारणाधिकार स्वीकृत किया गया है। 03 वर्ष की अवधि दिनांक 08.08.2022 को पूर्ण हो रही है।

धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियम 31, भाग-2 की कंडिका 11 निम्नानुसार है -

On confirmation on a permanent post, a University employee acquires a lien on that post. A University employee holding a permanent post substantively, if appointed substantively to another post, acquires a lien on the second post and cases to hold any lien on the first one.


डॉ. राजेंद्र प्रसाद दास, प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को प्रोफेसर पद पर दिनांक 09.08.2022 से 03 वर्ष या Pro-Vice Chancellor (सम-कुलपति) पद का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो के लिए धारणाधिकार में वृद्धि हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

संपदा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रायपुर में भू-अर्जन प्रकरणों में कुर्की के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन से प्राप्त मुआवजा राशि रु. 14,57,18,158=00 (रुपए चौदह करोड़ संतावन लाख अठारह हजार एक सौ अठावन मात्र) को माननीय न्यायालय में उक्त मुआवजा राशि जमा करने के संबंध में विचार करना। (पृ. क्र. 07)

टीप : आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 349/148/आउशि/वि.वि.अनु./2022 दिनांक 19.07.2022 के अनुसार न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रायपुर में भू-अर्जन प्रकरणों में कुर्की के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन से प्राप्त मुआवजा राशि रु. 14,57,18,158=00 (रुपए चौदह करोड़ संतावन लाख अठारह हजार एक सौ अठावन मात्र) को माननीय न्यायालय में उक्त मुआवजा राशि जमा करने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

9. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।


कुलसचिव